राजस्थान–सरकार

कार्यालय सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग, जालोर

क्रमांकः–जिबासई / 2020–21 / 362 दिनांक :– 15/7/21

–:: निविदा सूचना–01 / 2021–22 ::–

अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में खुली निविदा 01 / 2021–22 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 (दिनांक 01.08.2021 से 31.07.2022) हेतु जॉब / विजिट बेसिस कार्यो के लिए आवश्यकतानुसार मानव संशाधन उपलब्ध करवाने हेतु मोहर बन्द निविदा पंजीकृत संवेदको / बोलीदाता से आमंत्रित की जाती है। निविदा संबंधी विस्तृत सूचना इस कार्यालय में एवं वेबसाईट http://www.sje.rajasthan.gov.in, एवं http://sppp.raj.nic.in पर देखी जा सकती है।

NIB Code- **1 UBN No. –**

2 UBN No. –

(सुभाष चन्द्र मणि)
सहायक निदेशक
जिला बाल संरक्षण इकाई
बाअवि,जालोर

क्रमांकः–जिबासंई / 2020–21 / 363-366 दिनांक :– 15/7/21

प्रतिलिपि निम्न को डी.पी.आर. दरों पर प्रकाशन हेतु :–

1. संवाददाता जागरूक टाईम्स, जालोर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन एक राज्य स्तरीय पर प्रकाशित करावें।
2. श्रीमान् आयुक्त एवं शासन सचिव, निदेशालय बाल अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा / जिला परिषद / जिला कलक्टर कार्यालय।

सहायक निदेशक
जिला बाल संरक्षण इकाई
बाअवि,जालोर

राजस्थान–सरकार

कार्यालय सहायक निदेशक
जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग, जालोर

क्रमांकः–जिबासई / 2020–21 / 362 दिनांक :– 15/7/21

–:: निविदा सूचना–01 / 2021–22 ::–

इस कार्यालय में जॉब बेसिस पर कार्य हेतु वर्ष **2021–22 (01.08.2021 से 31.07.2022)** हेतु इच्छुक श्रम आपूर्ति कर्ताओं / स्वयं सहायता समूहों / प्लेसमेंट एजेन्सियों से निविदाऐं दिनांक 23.07.2021 को दोपहर 1:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो उसी रोज 04:00 पीएम पर उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोली जायेगी अन्य जानकारी व शर्त कार्यालय समय में आकर देखी जा सकती हैं।

क्र.	वस्तु / सेवा जो आपूर्ति की जाती है	सेवा की विशिष्ट एवं विवरण	मात्रा	अनुमानित मुल्य वर्ष 2021–22	अमानत राशि
01.	प्रोटेक्शन ऑफिसर	**योग्यता** : सामाजिक कार्य / समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर तथा बाल कल्याण के क्षेत्र में 1 वर्ष के कार्य का अनुभव, कम्प्यूटर ज्ञान (RS-CIT/DCA/ PGDCA / अन्य जारी प्रमाण पत्र) आयु 18वर्ष से कम नहीं होना चाहिए	01	220000	4400
02.	आउट रीच वर्कर	**योग्यता** : किसी भी संकाय में स्नातक कम्प्यूटर ज्ञान (RS-CIT/DCA/ PGDCA / अन्य जारी प्रमाण पत्र) आयु 18वर्ष से कम नहीं होना चाहिए।	01	94000	1880
03	काउन्सलर विजिट बेस	मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री बच्चों के साथ कार्य करने / काउंसलिंग का कम से कम 01 वर्ष का अनुभव कम्प्यूटर ज्ञान (RS-CIT/DCA/ PGDCA / अन्य जारी प्रमाण पत्र) आयु 18वर्ष से कम नहीं होना चाहिए।	01	120000	2400

UAN No. -

Sd/-
सहायक निदेशक
जिला बाल संरक्षण इकाई
बाअवि,जालोर

क्रमांकः–जिबासई / 2020–21 / 363–366 दिनांक :– 15/7/21

प्रतिलिपि निम्न को डी.पी.आर. दरों पर प्रकाशन हेतु :–

1. सम्पादक जागरूक टाईम्स को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन करावें।
2. श्रीमान् आयुक्त एवं शासन सचिव, निदेशालय बाल अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा / जिला परिषद / जिला कलक्टर कार्यालय।

Sd/-
सहायक निदेशक
जिला बाल संरक्षण इकाई
बाअवि,जालोर

परिशिष्ट ''अ''

राजस्थान–सरकार

कार्यालय सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग जालोर

क्रमांकः–जिबासई / 2021–22 / 362 दिनांक :– 15/7/21

–:: तकनीकी बिड (स्टेज–I) ::–

विषय :– प्रोटेक्शन ऑफिसर, आउटरिच वर्कर एवं काउन्सलर को जॉब बेसिस पर उपलब्ध कराने बाबत्।

1. निविदादाता फर्म / संवेदक का नाम एवं डाक का पता :– ....
2. निविदादाता फर्म / संवेदक का फोन एवं मोबाईल नम्बर :– ....
3. निविदादाता का ई–मेल एड्रेस :– ....
4. संदर्भ निविदा सूचना क्रमांक :– .... दिनांक ....
5. हम सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग जालोर द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या .... दिनांक .... में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये है) में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है।
6. संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण :–

क्र. सं.	प्रमाण पत्र का प्रकार	हॉ या नही
1	निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रू. 400/– जमा कराने का डिमाण्ड ड्राफ्ट नम्बर / बैकर्स चैक न. .... दिनांक .... राशि .... प्रस्तुत किये जाने का विवरण	
2	सूचना में अंकित अमानत राशि रू. ..../– का डिमाण्ड ड्राफ्ट नं. / बैंकर्स चैक नं. .... दिनांक .... का विवरण।	
3	कार्य अनुभव प्रमाण पत्र	
4	पेन कार्ड (आयकर)	
5	ई.पी.एफ. पंजीयन प्रमाण पत्र	
6	ई.एस.आई. पंजीयन प्रमाण पत्र	
7	जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र	

5. हमारे द्वारा निम्न दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये है :–
   1. ....
   2. ....
   3. ....
6. हम सम्पुष्टि करते है कि प्राईस बिड हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई है। मै / हम निविदा की समस्त शर्तो से सहमत हु / है।
7. निविदा शुल्क निविदा प्रक्रिया शुल्क तथा अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैकर्स चैक मूल रूप में (भौतिक रूप से) निर्धारित अवधि तक सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई बाल अधिकारिता विभाग जालोर में जमा होने की स्थिति में ही निविदा खोली जावेगी। कृपया इसका विशेष ध्यान रखे तथा उक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैकर्स चैक निविदा के साथ प्रस्तुत करें।

हस्ताक्षर निविदादाता

नोट :–

1. उपरोक्त सारणी में अंकित दस्तावेज प्रस्तुत किये है अथवा नहीं उसके आगे हां या नही/उसके जारी होने की तिथि/वैद्यता अवधि अंकित करना आवश्यक है इसका उत्तरदायित्व निविदादाता का है इसके अभाव में निविदा अमान्य कर दी जावेगी।
2. निविदा भरने की प्रक्रिया :–
   1. परिशिष्ट ''अ'' तकनीकी बिड है तकनीकी बिड के साथ समस्त प्रमाण पत्र एवं प्रत्येक पृष्ठ हस्ताक्षर शुदा संलग्न करे।
   2. परिशिष्ट ''ब'' प्राईस बिड है तकनीकी निविदा में पाये गये योग्य निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी।
   3. तकनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा पृथक–पृथक फोल्डर बना कर संलग्न की जावे।

हस्ताक्षर निविदादाता

प्रपत्र–ब 1

प्रोटेक्शन ऑफिसर, आउटरिच वर्कर एवं काउन्सलर जॉब बेसिस पर **उपलब्ध करवाने हेतु निविदा फॉर्मः–**

1.	फर्म का नाम	
2.	निविदादाता का नाम	
3.	निविदादाता का पूरा पता	
4.	एजेन्सी का रजिस्ट्रेशन नम्बर (रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित प्रति संलग्न करे)	
5.	स्पेसीफिकेशन के अनुसार मानव संसाधन संविदा पर लगाने की मासिक दर रूपये	
6.	निविदा की सभी शर्ते मान्य है	
7.	बोलीदाता /संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण	

क्र.स	विवरण	रजिस्ट्रेशन संख्या	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मुलन) अधिनियम 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1970				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948				
4.	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				
5.	आयकर (पैन नम्बर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यक संस्था अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

(निविदादाता के हस्ताक्षर)

वितीय निविदा प्रपत्रः–

प्रपत्र–ब (2)

3 – संवेदक के माध्यम से सेवाओं के लिए उपापन के लिए निविदा में दरे निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेगी ।

क्र स	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन	श्रम विभाग / विभाग द्वारा निर्धारित न्युनतम मजदुरी	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत (कॉलम संख्या 4 के अनुसार)	ESI दर प्रतिशत (कॉलम संख्या 4 के अनुसार)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (सर्विस चार्ज कॉलम संख्या 4 के अनुसार) मय प्रतिशत......	जीएसटी एवं टीडीएस (कॉलम संख्या 4 के अनुसार) मय प्रतिशत	कुल राशि (5+8+9)
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9	10
1.	प्रोटेक्शन ऑफीसर	1	17500 प्रतिमाह		नियमानुसार	नियमानुसार			
2	आउटरिच वर्कर	1	7774 प्रतिमाह		नियमानुसार	नियमानुसार			
3	काउन्सलर	1	10000 प्रतिमाह		नियमानुसार	नियमानुसार			

नोट :–

1. क्र.सं. 8 में सेवा प्रदाता अपना सर्विस चार्ज प्रतिशत मय राशि इन्द्राज करे, जो कॉलम संख्या 5 के आधार पर हो।
2. क्र.सं. 9 में कॉलम संख्या 5 के अनुसार टी.डी.एस. एवं जी.एस.टी. की कुल राशि प्रति व्यक्ति अंकित करे।
3. क्र.सं. 10 में कॉलम संख्या 5, 8 एवं 9 का योग लिखे।

शर्ते :–

1. कॉलम संख्या 10 के अनुसार ही निविदादाता को कार्यालय में विल प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त केवल ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई(नियमानुसार) भुगतान किया जावेगा। (कॉलम संख्या 5 के अनुसार) जो सेवाप्रदाता एजेंसी को विल में जोडकर प्रस्तुत करना होगा।
2. ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. का कर्मचारी के ई.पी.एफ. खाते में जमा करवाने की जिम्मेदारी सेवाप्रदाता की रहेगी।
   चूंकि जी.एस.टी. विभाग द्वारा देय है किन्तु कॉलम संख्या 9 में निविदादाता द्वारा इन्द्राज करना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में जी.एस.टी. का भुगतान नही किया जावेगा। जिसकी जिम्मेदारी एजेंसी स्वयं की होगी।

(निविदादाता के हस्ताक्षर)

1. प्रोटेक्शन ऑफिसर – योग्यताएंः–

- सामाजिक कार्य/समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर तथा बाल कल्याण के क्षेत्र में 1 वर्ष के कार्य का अनुभव।
- कम्प्यूटर ज्ञान (RS-CIT/DCA/PGDCA/ अन्य द्वारा जारी प्रमाण–पत्र)
- आयु 18 वर्ष से कम नही होना चाहीए।

–::कार्य का विवरणः–

- राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक 47501 दिनांक 27.02.2018 में जारी मार्गदशिक के अनुसार समस्त कार्य करना।
- अन्य सबंधित कार्य जो सहायक निदेशक निर्देशित करे विभाग/राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर प्राप्त दिशा–निर्देश।

2.आउट रीच वर्कर –::योग्यताएंः–

- शैक्षणिक योग्यता किसी भी संकाय में स्नातक
- कम्प्यूटर ज्ञान (RS-CIT/DCA/PGDCA/ अन्य द्वारा जारी प्रमाण–पत्र)
- आयु 18 वर्ष से कम नही होना चाहीए।

–:: कार्य का विवरण ::–

- राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक 47501 दिनांक 27.02.2018 में जारी मार्गदशिक के अनुसार समस्त कार्य करना।
- अन्य सबंधित कार्य जो सहायक निदेशक निर्देशित करे विभाग/राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर प्राप्त दिशा–निर्देश।

3.काउन्सलर –:: योग्यताएंः–

- मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री
- बच्चों के साथ कार्य करने/काउंसलिंग का कम से कम 01 वर्ष का अनुभव
- कम्प्यूटर ज्ञान (RS-CIT/DCA/ PGDCA/ अन्य जारी प्रमाण पत्र)

–:: कार्य का विवरण ::–

- राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 35235 दिनांक 28.02.2019 से जारी मार्गदर्शिका के अनुरूप काउंन्सलिंग करना।
- बच्चों के शारीरिक एवं भावनात्मक स्थिति को समझना।
- उसकी पीड़ा को दूर करना और चौट के भराव तथा विकास को बढ़ावा देना।
- बच्चें के अनुसार बताये गये घटना के कारणों का जानना एवं सुनना।
- जब बच्चा मुश्किल में हो तो उचित ढंग से प्रतिक्रिया देना।
- बालक की उपस्थिति, हावभाव, चाल, आवाज से उसके बारे में अनेक बाते जानना।
- इस तरह के सम्प्रेक्षण के प्रयोग में शब्दों की बजाय महसूस करना।
- जो बच्चें उन्हें रैफर किए गए है उन्हें परामर्श एवं सहायता देना और समूह आधारित गतिविधियां करना।
- बच्चें को उसके परिवार या समुदाय पुनः जोड़ने में सहायता करना।
- बच्चे के पूर्ण व्यक्तित्व और सामाजिक विकास को बढाना तथा उसके स्वास्थ्य और कल्याण के लिए काम करना।
- जब आवश्यकता हो किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति/न्यायालय को काउंसलिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करना अथवा गवाही के लिए जाना।
- उक्त के अतिरिक्त संस्थान के प्रभारी/अधीक्षक द्वारा प्रदत कार्य संपादित करना।

–:: निविदा की सामान्य शर्ते ::–

1. सभी निविदा बंद लिफाफे में कार्यालय में स्वीकार की जायेगी।
2. निविदादाता को वित्तीय एवं तकनीकी निविदा अलग–अलग लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी।
3. कार्य की अवधि कार्यादेश स्वीकृति की तिथि से **01.08.2021 से 31.07.2022** तक के लिए मान्य होगी। जिसे सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग ,जालोर द्वारा तीन माह के लिए बढाया जा सकता है। जिसके लिये अनुबंधित फर्म कार्य करने के लिए बाध्य है, इसके उपरांत दोनों पक्षों की आपसी सहमति से ठेका अवधि बढाई जा सकती है।
4. निविदादाता / संस्था / फर्म / एजेंसी जिसने पूर्व में राजकीय कार्यालयों के अर्द्धशासकीय कार्यालयों में या अन्य संस्थाओं में निविदा में कार्य करने का समस्त अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतियां निविदा पत्र के साथ संलग्न करनी अनिवार्य होगी एवं इसके अभाव में उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. **निविदादाता को निविदा सूचना में अंकित अमानता राशि का बैक ड्राफ्ट / बैकर्स चैक जो कि सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग जालोर शाखा जालोर में भुगतान योग्य निविदा के साथ जमा करना होगा। सफल निविदादाता को निविदा मूल्य की 2 प्रतिशत प्रतिभूति राशि निविदा स्वीकृति के 5 दिवस में जमा करानी होगी। अन्यथा अमानता राशि जब्त कर ली जायेगी। अमानता का प्रतिभूमि राशि में समायोजन कर लिया जायेगा। द्वितीय न्यूनतम दर निविदादाता की अमानता राशि रोक कर शेष निविदादाताओं को आवेदन करने पर अमानता राशि लौटा दी जाएगी। अमानता राशि के बिना प्राप्त निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा।**
6. सफल निविदादाता द्वारा अवयस्क एवं अशक्त व्यक्तियों को कार्य पर नही लगाया जाएगा।
7. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त / अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार विभागीय क्रय / निविदा समिति को होगा।
8. **सेवा प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र या कोई त्रुटि पाये जाने पर निविदा को रद्द करने का अधिकार विभागीय क्रय / निविदा समिति को होगा।**
9. दरों को स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार विभागीय क्रय / निविदा समिति के पास सुरक्षित होगा।
10. ई.एस.आई. व पी.एफ. विभाग में पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा। संबंधित दस्तावेज निविदा के साथ संलग्न करने हों। निविदादाता द्वारा जी.एस.टी. नम्बर का पंजीकरण संलग्न करना होगा।
11. **निविदादाता को निविदा कार्य का संचालन स्वयं को ही करना होगा, वह किसी अन्य व्यक्ति / संस्था को ठेका सबलेट नही करेगा।**
12. निविदा की शर्तो का उल्लंघन होने पर बिना नोटिस दिये निविदा निरस्त कर दिया जायेगा।
13. निविदा के संबंध में अन्य कोई शर्ते मान्य नही होगी। सशर्ते निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा।
14. **निविदादाता के किसी कर्मकार द्वारा कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने / अवांछित गतिविधियों से लिप्त पाये जाने अथवा अनापेक्षित आचरण करने संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर अथवा अन्य प्रकार से प्रशासन के ध्यान में आने पर यदि प्रशासन उस कर्मकार को हटाने का निर्देश सेवा प्रदाय कर्ता को देता है तो निविदादाता द्वारा उस कर्मकार को तुरन्त हटाना होगा तथा अन्य व्यवस्था करनी होगी।**
15. निविदादाता द्वारा जॉब कार्य हेतु उपलब्ध करवाये गये कर्मकारों के आचरण एवं उसके द्वारा किये गये कार्य के लिए पूर्ण रूप से निविदादाता जिम्मेदार होगा। निविदादाता को अपने कर्मकारो को पहचान / परिचय पत्र उपलब्ध कराने होंगे।
16. सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग जालोर द्वारा निविदा से संबंधित कोई भी सूचना सेवा प्रदायकर्ता से कभी भी प्राप्त की जा सकेगी।
17. **सफल निविदादाता द्वारा कार्य हेतु आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराये गये कर्मकार किसी भी स्थिति में नियमित नियुक्ति के पात्र नही होगे।**

18. सफल निविदादाता द्वारा कार्यादेश में वर्णित कार्य सम्पादन हेतु आवश्यकतानुसार कर्मकार उपलब्ध करवाये जाऐंगे। यदि किसी समय निविदादाता द्वारा आवश्यकतानुसार कार्मिक उपलब्ध नही करवाये जाने पर या कार्य संतोषजनक नही होने पर अनुमोदित राशि के आधार पर गणना कर उक्त कटौती के साथ आंकलित राशि की 10 प्रतिशत राशि शास्ति के रूप में बिल से काटी जाएगी।

19. **निविदादाता को श्रम विधि नियम, उपनियम तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशो एवं श्रमिक हित में जारी किये गये संशोधनों की पालना करने का दायित्व निविदादाता का होगा, पालना नही करने की स्थिति में सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई बाल अधिकारिता विभाग जालोर को निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।**

20. इस कार्य हेतु श्रम विभाग/राज्य सरकार के प्रावधानों के तहत कोई लाईसेंस या अनुमति पत्र लेना आवश्यक हो तो वह निविदादाता स्वयं के खर्चे पर प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा। निविदादाता को अपने कर्मकारों के कार्य दिवस, कार्य के घण्टे, दिये गये पारिश्रमिक इत्यादि की श्रम विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सूचना व अन्य समस्त प्रकार के रिकॉर्ड को तैयार करने एवं तदुपरान्त सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी तथा किसी भी अधिकारी के मांगे जाने पर प्रस्तुत करनी होगी।

21. प्लेसमेन्ट ऐजेन्सी जिनके पास कार्यानुभव है उनके द्वारा समस्त कार्मिको का ई.पी.एफ एवं ई.एस. आई. चालान की स्व प्रमाणित प्रति जमा कराने पर ही उनकी निविदा पर विचार किया जायेगा।

22. निविदादाता द्वारा नियोजित श्रमिकों की किसी भी कारण तथा कार्य के समय व कार्य समय के उपरांत मृत्यु हो जाती है या किसी भी रूप में अथवा दुर्घटना में घायल/अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त दायित्व, क्षतिपूर्ति मुआवजा आदि देने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इसके लिए सरकार/सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग जालोर जिम्मेदार नही होगा।

23. **निविदा अनुमोदित होने पर संबंधित संस्था/फर्म/एजेंसी द्वारा रू. 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर निर्धारित प्रपत्र में अनुबंध प्रस्तुत करना होगा जिसका व्यय संबंधित निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा। सफल निविदादाता को अनुमोदित कार्य राशि की 2 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में डी.डी./बी.सी. जमा करनी होगी। प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज नही दिया जाएगा।**

24. प्लेसमेन्ट ऐजेन्सी द्वारा सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्था से जॉब बेसिस कार्मिकों के लिये भुगतान प्राप्त करने के सात दिवसों के अन्दर समस्त जॉब बेसिस कार्मिक को भुगतान निविदादाता द्वारा आवश्यक रूप से बैंक खाते के माध्यम से ही करना होगा।

25. **निविदादाता द्वारा कार्य बीच में छोडने पर या उसका कार्य संतोषप्रद नही होने की स्थिति में निविदादाता को स्वीकृत निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार विभागीय क्रय/निविदा समिति को होगा।**

26. प्लेसमेन्ट ऐजेन्सी द्वारा सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्था से जॉब बेसिस कार्मिकों के लिये भुगतान प्राप्त करने के सात दिवसों के अन्दर समस्त जॉब बेसिस कार्मिक को भुगतान करने की बैंक पासबुक की छायाप्रति की स्व प्रमाणित प्रति जमा कराना अनिवार्य होगा तभी उनकी निविदा पर विचार किया जायेगा।

27. **यदि निविदादाता के किसी कृत्य या अकृत्य से व्यथित होकर कर्मकार न्यायालय में आनुतोष पाने हेतु कार्यवाही करता है और इसमें सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग जालोर, प्रशासन को भी पक्षकार बनाता है तो सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई बाल अधिकारिता विभाग जालोर पर पडने वाला समस्त भार निविदादाता से वसूला जाएगा।**

28. यदि निविदादाता एवं उसके कर्मकारों के मध्य कोई विवाद होता है तो उसकी जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई बाल अधिकारिता विभाग जालोर के प्रशासन का कोई दायित्व नही होगा।

29. **किसी भी प्रकार का विवाद होने पर सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई बाल अधिकारिता विभाग जालोर का निर्णय अंतिम होगा व निविदादाता को मानना होगा।**
30. निविदादाता के बिलों के भुगतान में से केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त आदेश/संशोधन आदेशों के अनुरूप टी.डी.एस., जी.एस.टी. अथवा अन्य करों की कटौती की जावेगी।
31. **किसी प्रकार का विवाद होने पर कानूनी कार्यवाही संबंधित जिला न्यायालय में ही होगी।**
32. समय–समय पर निदेशालय बाल अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर, अध्यक्ष (जिला कलक्टर) महोदय, जिला बाल संरक्षण इकाई जालोर एवं सचिव (सहायक निदेशक) जिला बाल संरक्षण इकाई जालोर के द्वारा दिये गये आदेशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
33. ICPS, किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) एक्ट, 2015 में प्राप्त एवं संशोधित नियमों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
34. **गत वर्षों में ब्लेक लिस्टेड नहीं होने संबंधी घोषणा पत्र सलंग्न करें।**

मैंने/हमने उपरोक्तानुसार वर्णित शत्र संख्या 1 से 34 तक को भली भांति पढ लिया है एवं समझ लिया है। मैं/हम उपरोक्त वर्णित सभी शर्तो सभी शर्तो की पूर्ण पालना करने के लिए सहमत है। सहमति स्वरूप निविदा की सामान्य शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर मेरे/हमारे द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये है। हमारे द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र परिशिष्ट 'अ' एवं परिशिष्ट 'ब' संलग्न है।

दिनांक :

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम एवं पता